CNR No.– UPME010081922026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण (V.B.U.P.S.E.B.), मेरठ
पीठासीन अधिकारी–अजय कुमार – I, (एच०जे०एस०) J.O. Code UP–6395
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन सं०– 2735/2026
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–70/2026

वैभव गर्ग पुत्र श्री चन्द्रभान सिंह, निवासी– मदाका पुरवा, जिथरौली, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजन पक्ष

मु०अ०सं०–280/2026 परिवर्तित मु०अ०सं० 14/2026
अन्तर्गत धारा–7/12 भ्र०नि० अधि० 1988
थाना–टी०पी०नगर, जिला– मेरठ,
परिवर्तित थाना– एन्टीकरप्शन मेरठ।

उपस्थित:– अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुदीप चौधरी।
राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री डॉ संजीव कुमार गुप्ता।

दिनांक– 24.06.2026

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त वैभव गर्ग पुत्र श्री चन्द्रभान सिंह के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मु०अ०सं०– 280/2026, परिवर्तित मु०अ०सं० 14/2026 अन्तर्गत धारा–7/12 भ्र०नि० अधि० 1988, थाना–टी०पी०नगर, जिला– मेरठ, परिवर्तित थाना– एन्टीकरप्शन मेरठ के मामले में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने पैरोकार के रूप में अपना स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

2. अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियोजन मामला इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता ने दिनांक 19.05.2026 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र भ्र०नि०सं० मेरठ में प्रभारी निरीक्षक महोदय को इस आशय का दिया था कि दिनांक 14.03.2026 को विपक्षी आबिद पुत्र श्री साबिर ने अपने परिजनों के साथ शिकायतकर्ता फरहीन के घर पर आकर परिवारीजनो के साथ झगड़ा किया था, जिसके पश्चात आबिद के भाई खालिद द्वारा शिकायतकर्ता फरहीन व उसके परिवारीजन जुबैर, इशान, सानिया, बोबी उर्फ साबिर के विरुद्ध थाना ब्रहमपुरी, जनपद मेरठ पर मु0अ0सं0–113/2026 धारा 109, 191(2), 191(3), 352, 351(3), 118(1) बी.एन.एस. पंजीकृत कराया गया। उक्त अभियोग की विवेचना थाना ब्रह्मपुरी, मेरठ पर तैनात उ०नि० श्री वैभव द्वारा सम्पादित की जा रही है। उक्त अभियोग में फरहीन, सानिया, बोबी उर्फ साबिर की मा० न्यायालय से जमानत हो चुकी है। शिकायतकर्ता फरहीन के भाई इशान का जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.05.2026 को मा० न्यायालय में दाखिल किया गया था, जिसके संबंध में संबंधित थानें से रिपोर्ट मांगी गयी तथा विवेचक उ०नि० श्री वैभव द्वारा रिपोर्ट तैयार कर भेज दी गयी है। लेकिन इशान की जमानत से संबंधित केस डायरी उ०नि० श्री वैभव द्वारा नहीं भेजी गयी है। शिकायतकर्ता के भाई इशान की

जमानत हेतु दिनांक 06.05.2026, 13.05.2026, 18.05.2026 को सुनवाई हेतु नियत की गयी है। लेकिन मुकदमें से संबंधित केस डायरी विवेचक द्वारा मा० न्यायालय में नहीं भेजी गयी है। शिकायतकर्ता दिनांक 16.05.2026 को अपने सहयोगी श्री संजीव कुमार एडवोकेट के साथ उ०नि० श्री वैभव से मिलने चौकी माधवपुरम के पीछे स्थित कालोनी में उनके आवास पर गयी थी, वहां पहुंचकर शिकायतकर्ता ने उपरोक्त अभियोग के संबंध में उ०नि० श्री वैभव से बात की। श्री वैभव ने शिकायतकर्ता से कहा था कि उसने धारा 109 बी.एन.एस. को धारा 110 बी.एन.एस. में तरमीम करके चार्जशीट लगा दी है। यदि आप चाहती है कि इस चार्जशीट पर सी०ओ० कार्यालय से कोई आपत्ति न लगे और यहीं चार्जशीट मा० न्यायालय में दाखिल हो जाये तो इसके लिए 60,000/–रूपये देने होगें। यदि आपने 60 हजार रूपये नहीं दिये तो सी०ओ० कार्यालय वाले एतराज लगाकर उसे वापस कर देगें और शिकायतकर्ता से कहा कि तुम्हारे भाई इशान की जमानत के लिए केस डायरी मा० न्यायालय में भेजनी है। 60,000/–रूपये देने में असमर्थता जताने पर उ०नि० श्री वैभव ने शिकायतकर्ता से कहा कि 50 हजार रूपये से कम नहीं होगें। अगर 50 हजार रूपये नहीं दिये तो विपक्षी आबिद की तरफ से तुम्हारे विरुद्ध आये झूठे प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। शिकायतकर्ता ने मजबूरी वश पैसे देने की हामी भर ली है। आरोपी उ०नि० श्री वैभव ने शिकायतकर्ता को दिनांक 21.05.2026 तक पैसे देने का समय दिया है। लेकिन शिकायतकर्ता ऐसे भ्रष्ट लोक सेवक को रिश्वत देना नहीं चाहती है, बल्कि उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहती हैं। शिकायती प्रार्थना पत्र की प्रीट्रैप जांच करने हेतु प्रभारी निरीक्षक, भ्र०नि०सं०, मेरठ श्री दुर्गेश कुमार द्वारा प्रीट्रैप जांच आख्या की दी गयी। प्रीट्रैप जांच से शिकायत की पुष्टि होने पर ट्रैप टीम का गठन किया गया। ट्रैप टीम के द्वारा दिनांक 21.05.2026 को जिलाधिकारी महोदय मेरठ के द्वारा नामित स्वतन्त्र साक्षीगण की उपस्थिति में अभियुक्त वैभव के कहने पर सह –अभियुक्त गौरव गर्ग को शिकायतकर्ता से 50,000/– रुपये रिश्वत के लेते हुये रंगे हाथों मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में फर्द तैयार की गयी। फर्द के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत इस जमानत प्रार्थना पत्र में आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में रंजिशन झूठा फंसाया गया है जबकि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नही किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त चौकी माधवपुरम, थाना ब्रहमपुरी (मेरठ) पिछले कई माह से बतौर उप–निरीक्षक के पद पर कार्यरत रहा है तथा प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपना कार्य ईमानदारी व लग्न के साथ किया गया है। उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट की घटना दिनांक 21–05–2026 समय रात्रि के 5 वें पहर समय 12:20 ए०एम० की बतायी गयी है और थाने पर सूचना दिनांक 21–05–2026 को समय 18:35 बजे की बतायी गयी है जबकि तथाकथित घटना स्थल से थाने की दूरी करीब 05 कि0मी0 है जो कि संदिग्ध प्रतीत होती है। उपरोक्त मु०अ०सं०–113 सन् 2026 में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विवेचना करने के उपरान्त आरोप–पत्र सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष उचित धाराओं में प्रेषित किया जा चुका था। आरोप–पत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात उक्त मुकदमें के अभियोगी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त से उपरोक्त आरोप–पत्र को वापस मंगा कर उसमें धारा–109 (1) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी करने के लिये कहा गया था तथा अभियोगी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को यह लालच दिया गया कि यदि प्रार्थी/ अभियुक्त उक्त मुकदमें में उनके कहे अनुसार धारा–109 (1) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी कर देगा तो वे लोग, प्रार्थी/अभियुक्त को खुश कर देगें, लेकिन प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ऐसा करने से इन्कार कर दिया गया। जिस वज़ह से उपरोक्त मुकदमें के अभियोगी, प्रार्थी/अभियुक्त से रंजिश मानने लगे तथा प्रार्थी/अभियुक्त को यह धमकियां दी गयी कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त ने उन लोगों की बात नहीं मानी तो प्रार्थी/अभियुक्त को इसके गम्भीर परिणाम भुगतने होगें। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध असलाह बनाने की फैक्टरी अपने प्रयास से पकड़ी गयी थी। इस वज़ह से भी क्षेत्र के लोग

प्रार्थी/अभियुक्त से रंजिश मानते थे। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी भी माध्यम से उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या–113 सन् 2026 के अभियोगी से कभी भी 50,000/– रूपये या अन्य कोई रिश्वत की मांग नहीं की गयी और ना ही ऐसा कोई औचित्य प्रतीत होता है। उक्त मुकदमें के सह–अभियुक्त सौरभ गर्ग को कथित रिश्वत के नोट लेते हुए मौके से पकड़ना दर्शाया गया है। उक्त सौरभ गर्ग व गौरव गर्ग की माधवपुरम क्षेत्र में ही प्रिटिंग प्रैस है तथा उक्त सौरभ गर्ग व गौरव गर्ग भी प्रार्थी / अभियुक्त से रंजिश मानते हैं तथा सौरभ गर्ग के मौके पर पकड़े जाने पर ही सौरभ गर्ग द्वारा प्रार्थी / अभियुक्त का नाम रिश्वत मांगने की बाबत लिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कथित रूप से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त, श्री संजीव कुमार, एडवोकेट को ना तो जानता है और ना ही पहचानता है। श्री संजीव कुमार, एडवोकेट द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को फोन किया जाना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को तथाकथित घटना (रिश्वत मांगने) से सम्बद्ध करने की कोई साक्ष्य भी रिकार्ड पर मौजूद नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सभ्य व इज्जतदार परिवार से सम्बन्धित है और उसके द्वारा इस प्रकार का कृत्य कारित किये जाने का कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि प्रार्थी / अभियुक्त एक लोक सेवक है। प्रार्थी/अभियुक्त अग्रिम जमानत हेतु अपनी ज़मानत देने को तैयार है।

4. अभियुक्त अधिवक्ता को प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध कराते हुए कथन किया कि अपराध गम्भीर प्रकृति का है एवं अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

6. अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिकी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त उ०नि० वैभव गर्ग के विरुद्ध यह आरोप है कि मु०अ०सं० 113/2026 धारा 109, 119(2), 119(3), 352, 351(3), 118(1) बी०एन०एस० जिसकी विवेचना थाना ब्रहमपुरी में तैनात उ०नि० वैभव गर्ग द्वारा की जा रही थी, के द्वारा उक्त प्रकरण की जमानत से सम्बंधित केस डायरी को न्यायालय में भेजने की एवज में आवेदक/अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता से 50,000/– रूपये अवैद्य पारितोषण अथवा रिश्वत के रूप में मांग की गई व आवेदक/अभियुक्त वैभव गर्ग को कथित घटना के दिन यह जानकारी होने पर कि आज एन्टीकरप्शन की टीम निकली हुई है, शिकायतकर्ता व उसके साथ मौजूद संजीव कुमार अधिवक्ता को चौकी माधवपुरम के पीछे आने को कहा व संजीव कुमार अधिवक्ता द्वारा चौकी के पीछे वाली सड़क पर पहुचने पर अभियुक्त वैभव के मो०नं० पर वाट्सएप कॉल किया गया। अभियुक्त द्वारा कहा गया की वह जरूरी काम से निकल गया है, वह अपने आदमी को भेज रहा है उसे 50,000/– रूपये दे देना। आगे कहा कि मैने अपने मित्र सौरव गर्ग को फोन किया है। चौकी माधवपुरम के पास सौरभ की प्रिंटिंग प्रेस है उसने अपने कर्मचारी गौरव को भेजा है। इस प्रकार अभियुक्त के कहने पर सह–अभियुक्त गौरव गर्ग द्वारा आवेदक/अभियुक्त के लिए 50,000/– रूपये की धनराशि उत्कोच के रूप में प्राप्त की गई व मौके से गिरफ्तार सह–अभियुक्त गौरव गर्ग द्वारा अपने जुर्म इकबालिया बयान में यह स्वीकार किया गया कि आवेदक/अभियुक्त उ०नि० वैभव गर्ग के कहने पर शिकायतकर्ता से 50,000/– रूपये की रिश्वत लेने के लिए आया था।

8. अग्रिम जमानत किसी अधिकार स्वरूप प्राप्त नही की जा सकती है। इस सम्बंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा **स्टेट आफ एम0पी0 व अन्य बनाम राम कृष्ण बलोथिया व अन्य AIR 1955 SC 1195** में यह मताभिव्यक्ति की गयी है कि–

"We find it difficult to accept the contention that Section 438 of the Code of Criminal Procedure is an integral part of Article 21. In the first place, there was no provision similar to Section 438 in the old Criminal Procedure Code? Also anticipatory bail cannot be granted as matter of right. It is essentially a statutory right conferred long after the coming into force of the Constitution. It cannot be considered as an essential ingredient of Article 21 of the Constitution. And its nonapplication to certain special category of offences cannot be considered as violative of Article 21."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **देविंदर कुमार बंसल बनाम स्टेट आफ पंजाब SLA (Crl.) No. 3247 of 2025** के मामले में अग्रिम जमानत के संबंध में पुनः यह मताभिव्यक्ति की गयी है कि–

"The parameters for grant of anticipatory bail in a serious like offence corruption required are to be satisfied. Anticipatory bail can be granted only in exceptional circumstances where the Court is prima facie of the view that the applicant has been falsely enroped in the crime or the allegations are politically motivated or are frivolous. So far as the case at hand is concerned, it cannot be said that any exceptional circumstances have been made out by the petitioner accused for grant anticipatory bail and there is no frivolity in the prosecution."

केस डायरी पर उपलब्ध सामग्री से ऐसा विदित नही होता है कि आवेदक/अभियुक्त को शिकायतकर्ता द्वारा उपरोक्त मामले में झूंठा फसाया गया हो अथवा अभियुक्त किसी राजनितिक षडयंत्र का शिकार है।

9. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय यह तथ्य स्वीकार किया है कि सम्बंधित विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त को दौरान विवेचना दिनांक 06.06.2026 को नोटिस अन्तर्गत 35(3) बी०एन०एस०एस० प्रेषित किया है। उपरोक्त तथ्य के दृष्टिगत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का कोई औचित्य भी नही रह जाता है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा एक लोक सेवक के रूप में वैद्य कार्य के निष्पादन हेतु अवैद्य पारितोषण की मांग की गई व उत्कोच के रूप में 50,000/– रूपये प्राप्त करने हेतु सह–अभियुक्तगण सौरभ गर्ग व गौरव गर्ग को भी उत्प्रेरित किया। मामला गंभीर प्रकृति का है।

प्रस्तुत मामले के तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त वैभव गर्ग पुत्र श्री चन्द्रभान सिंह की ओर से मु०अ०सं० – 280/2026, परिवर्तित मु०अ०सं० 14/2026, अन्तर्गत धारा–7/12 भ्र०नि० अधि० 1988, थाना– टी०पी०नगर, जिला– मेरठ, परिवर्तित थाना– एन्टीकरप्शन मेरठ में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 70/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 24.06.2026

(अजय कुमार– I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम(V.B.U.P.S.E.B.),
मेरठ।

Digitally signed by AJAY KUMAR
Date: 2026.06.24 17:22:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Meerut